न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 121/2011

1 भाताराम उम्र 80 वर्ष पुत्र भोलाराम जाति चमार निवासी ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र भोलाराम।
2 सुरेश पुत्र भोलाराम।
3 लालचन्द पुत्र भोलाराम।
4 सरदाराराम पुत्र मालाराम।
5 पपुलाल पुत्र मालाराम।
6 जगदीश पुत्र मालाराम।
7 भगवती देवी विधवा मालाराम।
8 जीवनी देवी पत्नी बाबूलाल।
9 सुन्दरी पुत्री बाबूलाल।
10 राजबाला पुत्री बाबूलाल।
11 चुकीया पुत्री बाबूलाल।
12 मीना पुत्री बाबूलाल।
13 धन्नाराम पुत्र बाबूलाल।
14 कर्मपाल पुत्र बाबूलाल समस्त जाति चमार निवासीगण ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू दिनांकित 18.07.2011 उनवानी दावा भाताराम बनाम महेन्द्र सिंह दावा बाबत घोषणात्मक खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली मुकदमा नम्बर 116/2003 निर्णय दिनांक 18.07.2011

अपील संख्या 133/2011

1 महेन्द्र पुत्र भोलाराम।
2 सुरेश पुत्र भोलाराम।
3 लालचन्द पुत्र भोलाराम।
4 सरदाराराम पुत्र मालाराम।
5 पपुलाल पुत्र मालाराम।
6 जगदीश पुत्र मालाराम।
7 भगवती देवी विधवा मालाराम।
8 जीवनी देवी पत्नी बाबूलाल।
9 सुन्दरी पुत्री बाबूलाल।
10 राजबाला पुत्री बाबूलाल।
11 चुकीया पुत्री बाबूलाल।
12 मीना पुत्री बाबूलाल।
13 धन्नाराम पुत्र बाबूलाल।
14 कर्मपाल पुत्र बाबूलाल समस्त जाति चमार निवासीगण ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1 भाताराम पुत्र भोलाराम जाति चमार निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट बखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी दावा उनवानी भरताराम बनाम महेन्द्र वगैरह प्रतिदावा उनवानी महेन्द्र वगैरह बनाम भाताराम दावा नम्बर 116/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2011

उपस्थिति :

1. श्री राजेश सूण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदनसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.08.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा संख्या 116/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित गत पैमाईशी भूमि खसरा नम्बर 905 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 920

अ.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 921 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार नये सैटलमेन्ट के लागु होने तक था। गत खसरा नम्बर 905 के हाल खसरा नम्बर 1750 रकबा 2.32 हैक्टेयर, व 921 के हाल खसरा नम्बर 1752 रकबा 0.10 हैक्टेयर एवं 1858 रकबा 0.67 हैक्टेयर बने है व 920 के हाल खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1817 रकबा 0.25 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1818 रकबा 0.35 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1857 रकबा 0.08 बने है। वादी ने भूमि खसरा नम्बर 920 में रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज भोलाराम व मालाराम पुत्रान चन्द्राराम को संवत सन 1978–79 साल दर साल काश्त पर दी थी जिसके हाल खसरा नम्बर 1818 रकबा 0.35 हैक्टेयर व 1856 रकबा 0.12 हैक्टेयर बने है। वादी ने उक्त भूमि का प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों को कभी बेचान या हस्तान्तरण नहीं किया। प्रतिवादी के पूर्वज भोला व माला ने भी पैमाईश वालों से मिलकर वादी की बिना जानकारी बिना सहमति व बिना हस्तान्तरण के बाला–बाला भूमि खसरा नम्बर 1818 व 1856 की खातेदारी अपने नाम करवा ली। जबकि पैमाईश वालों का उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम करने का अधिकार नहीं था अतः वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने पर इस तथ्य की जानकारी हुई अत यह दावा घोषणात्मक करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1750, 1752,1758 बाबत प्रतिवादीगण का कोई विवाद नही है, खसरा नम्बर 1750, 1752 बाबत प्रतिवादीगण कोई क्लेम नहीं करते खसरा नम्बर 1753,1817, 1857 प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण के पुख्ता मकान कुआं बना हुआ है जिसमें विधुत कनेक्शन है। भूमि खसरा नम्बर 1818, 1856 गत 54 वर्ष से प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि है। वादीगण के उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कराने का अधिकार नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 नाबालिगान बविलायत कोर्ट वली की तरफ से जवाब दावा पेश कर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया। उतरदाता/वादी की ओर से काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि क्लेमेन्ट का काउन्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। काउन्टर क्लेमेन्ट प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1817 रकबा 0.25 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1857 रकबा 0.08 हैक्टेयर का काउन्टर क्लेमेन्टस की खातेदारी की भूमि घोषित किया जावे व इसी प्रकार नामान्तकरण तस्दीक फरमाया जाने के आदेश फरमाये जावें व रिकार्ड दुरूस्ती की जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपने विवादित आदेश में अपीलांट द्वारा व न्यायालय मातहत में परीक्षित किसी भी गवाह के बयानो का विवेचन अपने निर्णय में नही किया है व न ही साक्ष्य पर कोई गौर किया है। वादी/अपीलांट ने अपने दावे के अभिवचनों के अनुसार संवत 2015 से 2018,2019 से 2022,2023 से 2026, 2027 से 2030 व 2031 से 2034 तक की जमाबन्दिया, खसरा नम्बर 920 गत प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाई है जिनमें खसरा नम्बर 920 का खातेदार काश्तकार वादी/अपीलांट स्वंय है तथा उसके बाद खसरा नम्बर 920 के पांच नये खसरा नम्बर पड़ गये जिनमे से खसरा नम्बर 1818 व 1856 जो अपीलांट ने रेस्पोडेंट के पूर्वज माला तथा भोला को काश्त करने हेतु दी थी परन्तु उक्त माला व भोला ने आपस में साज करके अपीलांट की उक्त खसरा नम्बर की भूमि को हड़पने की गरज से बाला बाला अपने नाम करवा ली तथा उस पर बजरन मकान तामीर करने की कोशिश करने लगे। तब वादी द्वारा उक्त दावा पेश करना आवश्यक हुआ। जबकि खसरा नम्बर 920 के अन्य तीन खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नम्बर 1857,1817 व 1753 वादी/अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है व अपीलांट उन पर काबिज काश्त है तथा साबित नही हुआ है कि उक्त तथ्य वादी द्वारा गलत प्रस्तुत किये है। संवत 2031 से 2034 वादी ही उक्त खसरा नम्बर 920 का खातेदार दर्ज है तथा मुल विवाद खसरा नम्बर 920 को लेकर है जिसके नये खसरा नम्बर 5 पड़े है उनमे से 3 खसरा नम्बर अपीलांट के नाम से दर्ज है व काबिज है परन्तु उनमे से दो खसरा नम्बर 1818 व 1856 को रेस्पोडेंटगण के पूर्वजो ने बाला – बाला अपने नाम करवा ली तथा नाजायज निर्माण कार्य करने लगे। जिसको अपीलांट ने अपने दावे में चुनौती दी तथा अपीलांट सम्पूर्ण तथ्य अपने दावे में दर्ज कर स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष आया था परन्तु अदालत मातहत ने बिना कोई माइन्ड अप्लाई किये रिकार्ड की प्रविष्टियां बदस्तुर जारी रखते हुये विवादित आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें एवं प्रति दावा खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि नकल खातौनी 1998 जमाबंदी संवत 2012 व खसरा गिरदावरिया प्रस्तुत की जिनमें खसरा नम्बर 920 प्रतिवादी की खातेदारी साबित है। रेस्पोडेंट ने जमाबंदी संवत 2031 से 2034, 2057 से 2060, 2043 से 2046 प्रस्तुत की जिसमें खसरा नम्बर 1857, 1753,1817 में वादी रेस्पोडेंट की खातेदारी दर्शायी गई है अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण का प्रतिदावा मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि खसरा नम्बर 1857,1753,1817 वादी की रिकार्ड शुद्वा आराजी है। जिसमें दखलन्दाजी नही की जा सकती। तीनो खसरा नम्बरान गत खसरा नम्बर 920 से बने है जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व प्रतिवादीगण काबिज है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2012 में आया उसकी जमाबंदी में प्रतिवादीगण का पूर्वज चन्द्रा उप कृषक दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2011,2012,2013 में चन्द्रा की काश्त दर्ज है सैटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आधार पर प्रतिवादीगण की टीनेन्सी की बजाय रेस्पोडेंट की टीनेन्सी दर्ज कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दी सैटलमेन्ट विभाग ने गलत इन्द्राज के आधार पर किसी को टीनेन्सी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य पर गौर किये वगैर प्रतिवादीगण का प्रति दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है खसरा नम्बर 920 पर ठिकाना वक्त से प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। अदालत मातहत ने इस कानूनी बिन्दु पर कतई विचार नही किया गया कि एक बार किसी टिनेन्ट को टीनेन्सी अधिकार प्राप्त हो जाते है वो बिना कानूनी प्रकिया के समाप्त नही किये जा सकते है। अत वाद वादी खारिज किया जाकर प्रति दावा डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2057–60 के अनुसार वादी उक्त 6 खसरा नम्बरान का खातेदार काश्तकार प्रमाणित है पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 1818 एवं 1856 प्रतिवादीगण के रिकार्ड एवं कब्जे काश्त की आराजी है वे उक्त आराजी के खातेदार कृषक है, वाद पत्र में वादी ने भी यह स्वीकार किया है अर्थात वे वर्तमान में शिकमी काश्तकार नहीं है। वस्तुतः साबिक खसरा नम्बर 920 से खसरा नम्बर 1753,1817,1818,1856 एवं 1857 बने है, जमाबंदी संवत 2012 में यह आराजी हुक्मा पुत्र गोदू के नाम दर्ज रिकार्ड थी, खसरा नम्बर 920 पर उपकृषक चन्द्रा पुत्र सुरजा दर्ज था जो कि प्रतिवादीगण का हक पूर्वाधिकारी था। जमाबंदी संवत 2031–34 में तीनों साबिक खसरा नम्बर 905,920 व 921 जो कि हुक्मा पुत्र गोदू की खातेदारी मे थे, वादी के खाते में दर्ज रिकार्ड थे। वस्तुतः वादी संवत 2031–34 की जमाबंदी के आधार पर ही खसरा नम्बर 1818 एवं 1856 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। किन्तु सैटलमेन्ट के बाद ये दोनों नम्बर प्रतिवादीगण के खाते में आ गये अत वर्तमान में खसरा नम्बर 1818 एवं 1856 प्रतिवादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी है एवं सैटलमेन्ट के बाद से तो उनका कब्जा निरन्तर प्रमाणित है। वादी का उक्त दोनों नम्बरो पर कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही यह वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, प्रतिवादीगण सैटलमेन्ट के बाद से ही खातेदार कृषक है एवं काबिज काश्त है। जमाबंदी संवत 2057–60

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में वादी उक्त तीनों खसरा नम्बरों का खातेदार काश्तकार प्रमाणित है। प्रतिवादीगण का कथन है कि चूंकि साबिक नम्बर 920 पर उनका हकपूर्वधिकारी चन्द्रा पुत्र सुरजा उप कृषक दर्ज था, अत उन्हें खातेदारी अधिकार मिलने चाहिए। प्रतिवादीगण मौखिक साक्ष्यों से भी उक्त भूमि पर अपना कब्जा सिद्व नहीं कर पाया। उक्त तीनों नम्बर जमाबंदी संवत् 2031–2034 के साबिक नम्बर 905,920,921 से बने है और जमाबंदी संवत् 2031–34 में भी वादी ही उनका खातेदार कृषक था। प्रस्तुत वाद में मूल विवाद साबिक खसरा नम्बर 920 को लेकर है, इसके 5 हाल नम्बर है। साबिक रिकर्ड संवत 2012 में यह नम्बर चन्द्रा पुत्र सुरजा के नाम उप कृषक दर्ज रिकार्ड था। प्रतिवादीगण यह भी दावा करते है कि साबिक नम्बरों 922 एवं 913 के नये नम्बर 1798 पर भी उनका कब्जा है। वस्तुतः वाद में दोनों ही पक्ष यह साबित नही कर पाये सैटलमेन्ट के बाद खसरा नम्बर 1818 एवं 1856 प्रतिवादीगण के खाते में कैसे दर्ज हुए। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर